

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 07.07.2024

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में उ0नि0 आशीष कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 333/2024 धारा 147,148,323,504,506,308,452 भादवि से संबंधित अभियुक्त श्यामू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त का विवरण- दिनांक 19.06.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर धारधार हथियार, लाठी, डण्डा व लोहे के राड से लैस होकर गाली गुप्ता व जानमाल की धमकी देते हुए घर में घुस कर मारपीट कर वादी के परिजन को घायल कर दिया गया जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम-

श्यामू पुत्र रामनिवास निवासी रामपुर नयागांव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 333/2024 धारा 147,148,323,504,506,308,452 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आशीष कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सुभाष चन्द्र बोस नगरथाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. का0 सुनिल यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. का0 उदय यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर